(५)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री उम्मेदसिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 110/2018 /राजस्व वाद

उनवान

1. देवस्थान श्रीराम मंदिर जरिये पूजारी मदनदास पि. बजरंगदास जाति बैरागी नि. दीवलखेडा तहसील रायपुर

– वादी

बनाम

1. राकेश पाटीदार पि. राधेश्याम जाति पाटीदार नि. दीवलखेडा तहसील रायपुर
2. हुकुमचन्द पाटीदार पि. राधेश्याम जाति पाटीदार नि. दीवलखेडा तहसील रायपुर
3. जुगल पाटीदार पि. रामप्रसाद जाति पाटीदार नि. दीवलखेडा तहसील रायपुर
4. मुरली पाटीदार पि. मांगीलाल जाति पाटीदार नि. दीवलखेडा तहसील रायपुर
5. सत्यनारायण पाटीदार पि. पूरालाल जाति पाटीदार नि. दीवलखेडा तहसील रायपुर
6. घनश्याम पाटीदार पि. रामनारायण जाति पाटीदार नि. दीवलखेडा तहसील रायपुर
7. गिरिराज पाटीदार पि. नानूराम जाति पाटीदार नि. दीवलखेडा तहसील रायपुर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा तह.पिडावा

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 , 183 , 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादीगण – श्रीमति फरजाना मिर्जा

वकील प्रतिवादीगण – श्री महेन्द्रसिंह जैन

निर्णय दिनांक : 17/02/2021

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा ग्राम दीवलखेडा तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2070–73 के खाता सं. 66 आराजी किता 7 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा भूमि के संबंध में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 188, 183, 209 के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी श्रीराम मंदिर दीवलखेडा के नाम दर्ज है एवं वादी इस मंदिर का पूजारी है। इस मंदिर की सेवा चाकरी सार संभाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.03.04 15:00:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

(5)

वादी एवं उसके पूर्वज करते चले आ रहे है। इस मंदिर की सेवा चाकरी के बदले इन्दौर स्टेट के समय से वादी के पूर्वजो को बतौर जागीर इनाम के रूप में दे रखी है। यह भूमि संटलमेंट के समय श्रीराम मंदिर पूजारी बजरंगदास पि. गुलाबदास के नाम दर्ज थी। वादी के पिता जब तक जीवित रहे उन्होने एवं उनके मरने के बाद वादी ही मंदिर की सेवा करता रहा है। वादग्रस्त आराजी पर वादी कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी के ख.नं. 403 में सनातन काल से वादी के परिवार के लोगो का मरणो उपरांत अंतिम संस्कार व धार्मिक अनुष्ठान होते आ रहे है। जहां वादी के पूर्वजों की छत्रियां व चरण पादुकायें स्थापित है। वादी वादग्रस्त कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर अपने परिवार की जीविका चलाता आ रहा है। ख.न. 404 , 403 , 405 के कुछ हिस्सों का मिलाकर 10 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 24.10.2018 को अनाधिकृत रूप से ताकत के बल पर गैर कानूनी तरीके से निर्माण कार्य हेतु सामग्री डाल दी एवं नींव खोद कर निर्माण कार्य किया। वादग्रस्त आराजी ख.नं. 403 , 404 , 405 की भूमि में प्रतिवादीगण का कोई हक ,हिस्सा , हित , अधिकार नहीं है। वाद कारण दिनांक 24.10.2018 को उत्पन्न हुआ। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे ग्राम दीवलखेडा की खाता सं. 66 की आराजी ख.नं. 403 , 404 , 405 के कुछ हिस्सो को मिलाकर 10 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादीगण कोई निर्माण नहीं करे या करावे एवं दो दो फीट उॅची दीवार जो बनाई गई है उसे हटावाया जावे। वाद पत्र के साथ ग्राम दीवलखेडा की जमाबंदी सं. 2070–73 के खाता सं. 66 , नक्शा ट्रेस , खसरा गिरदावरी , सेटलमेंट जमाबंदी की नकल , फोटोग्राफस प्रस्तुत किये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री महेन्द्रसिंह जैन ने वकालातनामा प्रस्तुत कर वाद पत्र में अंकित तथ्यों को गलत व अस्वीकार विशेष आपत्तियों में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 403 , 404 देवस्थान श्रीराम मंदिर दीवलखेडा के नाम दर्ज है जो रेल के बालाजी के नाम से विख्यात है। मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है। वादी को वाद लाने का कोई लोकस स्टेण्डाई हासिल नहीं है। मंदिर परिसर में मंदिर की सुरक्षा और पवित्रता व दर्शनार्थियों की सुविधा हेतु जन सहयोग व ग्राम पंचायत से बावण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य कराया गया है। इससे मंदिर की कृषि भूमि पर अतिक्रण करने , स्वरूप बिगाडने , नष्ट करने जैसी कोई बात नहीं है। वादग्रस्त

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.03.04 15:00:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned by TapScanner

आराजी का वादी खातेदार मालिक नहीं है। वादी ने वाद लाने से पूर्व आदेश 32 रूल्स 4 सीपीसी का या आदेश 1 नियम 8 सीपीसी की पालना नहीं की है। वादी ने मंदिर श्रीराम खाते की वादग्रस्त आराजी अन्य को बेचान करने के आशय से स्टाम्प लिख दिया एवं गिरवी रख दी है। वादी के हाथ में मंदिर की सम्पत्ति सुरक्षित नहीं है। अतः वाद वादी मय हर्जा खर्चे खारीज किया जावे। जवाब दावे के साथ पुलिस थाना रायपुर की एफ आई आर की प्रति पेश की।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

वाद पत्र , जवाब दावा एवं राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं अभिभाषकगण द्वारा की बहस पर गौर किया गया।

:- आदेश :-

प्रस्तुत वाद में यह पाया कि ग्राम दीवलखेडा तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2070–73 के खाता सं. 66 आराजी किता 7 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा भूमि देवस्थान श्रीराम मंदिर की है। अतः प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करेगे एवं उक्त भूमि का विकास कार्य देवस्थान विभाग की स्वीकृति के उपरांत पूजारी एवं ग्राम पंचायत की सहमति से किया जावेगा। वादग्रस्त आराजी ख.नं. 403 , 404 , 405 के कुछ हिस्सो को मिलाकर 10 बिस्वा भूमि में जो चार दीवारी मंदिर के चारो ओर बनी हुई है वह यथावत बनी रहेगी एवं मंदिर सुरक्षा हेतु पूजारी व ग्राम पंचायत की सहमति से ही चार दीवारी पर दरवाजा आदि लगाया जावेगा। मंदिर दर्शन हेतु सभी श्रदालूओं के लिये खुला रहेगा एवं मंदिर की पूजा–पाठ पूजारी परिवार द्वारा किया जावेगा।

पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करें।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.03.04 15:00:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

(7)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

बइजलास – श्री उम्मेदसिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 110/2018 /राजस्व वाद

उनवान

1 देवस्थान श्रीराम मंदिर जरिये पूजारी मदनदास पि. बजरंगदास जाति बैरागी नि.दीवलखेडा तहसील रायपुर

– वादी

बनाम

1. राकेश पाटीदार पि. राधेश्याम जाति पाटीदार नि. दीवलखेडा तहसील रायपुर
2. हुकुमचन्द पाटीदार पि. राधेश्याम जाति पाटीदार नि. दीवलखेडा तहसील रायपुर
3. जुगल पाटीदार पि. रामप्रसाद जाति पाटीदार नि. दीवलखेडा तहसील रायपुर
4. मुरली पाटीदार पि. मांगीलाल जाति पाटीदार नि. दीवलखेडा तहसील रायपुर
5. सत्यनारायण पाटीदार पि. पूरालाल जाति पाटीदार नि. दीवलखेडा तहसील रायपुर
6. घनश्याम पाटीदार पि. रामनारायण जाति पाटीदार नि. दीवलखेडा तहसील रायपुर
7. गिरिराज पाटीदार पि. नानूराम जाति पाटीदार नि. दीवलखेडा तहसील रायपुर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा तह.पिडावा

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 , 183 , 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादीगण – श्रीमति फरजाना मिर्जा

वकील प्रतिवादीगण – श्री महेन्द्रसिंह जैन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू ....व हाजिरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादी मिलजामिन मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

प्रस्तुत वाद में यह पाया कि ग्राम दीवलखेडा तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2070–73 के खाता सं. 66 आराजी किता 7 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा भूमि देवस्थान श्रीराम मंदिर की है। अतः प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 किसी प्रकार का निर्माण कार्य

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.03.04 15:00:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

(8)

नहीं करेगे एवं उक्त भूमि का विकास कार्य देवस्थान विभाग की स्वीकृति के उपरांत पूजारी एवं ग्राम पंचायत की सहमति से किया जावेगा। वादग्रस्त आराजी ख.नं. 403 , 404 , 405 के कुछ हिस्सो को मिलाकर 10 बिस्वा भूमि में जो चार दीवारी मंदिर के चारो ओर बनी हुई है वह यथावत बनी रहेगी एवं मंदिर सुरक्षा हेतु पूजारी व ग्राम पंचायत की सहमति से ही चार दीवारी पर दरवाजा आदि लगाया जावेगा। मंदिर दर्शन हेतु सभी श्रदालूओं के लिये खुला रहेगा एवं मंदिर की पूजा–पाठ पूजारी परिवार द्वारा किया जावेगा।

निज .... मुबलिग .... बाबत् .... खर्चा इस मुकदमें के मय सुद बशरह ....सदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17/02/2021 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

(उम्मेदसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.03.04 15:00:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner